रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265525
CG-DL-E-19082025-265525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947
No. 519] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

सं. 29/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 563(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफ.के.एम.)" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 50 90, 3904 69 10, 3904 69 90 और 3904 90 90 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 नवम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 743(अ), दिनांक 27 नवम्बर, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/08/2025-डीजीटीआर,

दिनांक 16 जून, 2025, जिसे दिनांक 16 जून, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 नवम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 743(अ), दिनांक 27 नवम्बर, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 26 फरवरी, 2026 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, लागू रहेगा।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/37/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 नवम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 743(अ) दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2025

No. 29/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 563(E).— Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/08/2025-DGTR dated 16th June 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 16th June 2025, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Fluoroelastomers (FKM) " (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 3904 50 90, 3904 69 10,3904 69 90 and 3904 90 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Number 40/2020-Customs (ADD), dated the 27th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 743(E), dated the 27th November, 2020, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Number 40/2020-Customs (ADD), dated the 27th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 743(E), dated the 27th November, 2020, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely-

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 26th February, 2026, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. CBIC-190349/37/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal Notification number 40/2020-Customs (ADD), dated the 27th November, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 743(E), dated the 27th November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.19 22:01:29 +05'30'